

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 479]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 नवम्बर 2011—कार्तिक 11, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्र. एफ-1-8-2011-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में,—

- (एक) शीर्षक—दो “गृह विभाग” के अधीन, भाग(अ) में “विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय,” के शीर्षक भाग “अ-सामान्य” में, अनुक्रमांक “23. विभागीय परीक्षाएं” का लोप किया जाए;
- (दो) शीर्षक—एक सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन, भाग (अ) में, “विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय” के शीर्षक “प्रशिक्षण” में अनुक्रमांक 80 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“80-क विभागीय परीक्षाएं”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्र. एफ-1-8-2011-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-8-2011-एक-(1), दिनांक 2 नवम्बर 2011 का हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd November 2011

No.F 1-8-2011-One (1).—In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is Pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in the Schedule,—

- (i) under the heading II "Home Department" in part (A), of heading "Matters of policy dealt within the Department" in part A-General, serial number "23. Departmental Examination" shall be omitted;
- (ii) under the heading-I General Administration Department, in part (A), of heading "Matters of policy dealt within the Department" in the heading "Training" after serial number 80 and entry relating thereto, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely:—

"80-A Departmental Examinations."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B. R. VISHWAKARMA, Dy Secy.